न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू जिला दूदू

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 31/2017 पुनः दर्ज 79/2021

1. भंवर सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी सिंहभूमि 17 वी, खातीपुरा, जयपुर, ।
2. कल्याण सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी 31, अशोक विहार, खिरणी फाटक, जयपुर।
3. यशपाल सिंह पुत्र किशोर सिंह निवासी 78 अशोक विहार, विस्तार खिरणी फाटक, जयपुर।
4. दशरथ सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी 73, देवीनगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर ।

(निगरानीकार)

बनाम

1. सुरेश चन्द पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा जाति पारीक, निवासी बिचून, तहसील दूदू हाल तहसील मौजमाबाद, जयपुर।
2. ग्राम पंचायत बिचून, पंचायत समिति दूदू हाल मौजमाबाद, जयपुर।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू हाल मौजमाबाद, जयपुर।

(गैरनिगरानीकार)

निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 9 राज0 पंचायत राज अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 1016, मिसल संख्या 36/भू.वि./8586 द्वारा ग्राम पंचायत बिचून दिनांक 23.12.1985

उपस्थित :–

1. श्री हनुमान प्रसाद चौधरी विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/गैरनिगरानीकार की और से।

निर्णय दिनांक :– 18.02.2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बिचून, पंचायत समिति दूदू, जयपुर में आवादी भूखण्ड कब्जा शुदा नोहरा की भूमि का पट्टा लेने हेतु गैर निगरानीकार द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.1985 को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि उक्त भूखण्ड प्रार्थी की कब्जाशुदा बुजुर्गों से नोहरे की जमीन विना पट्टा की प्रार्थी पट्टा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

लेना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बिचून की कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 04.09.1985 को दर्ज नही है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 05.09.1985 को विवादित स्थल के मौका नक्शा हेतु पंच नाथू लाल, रोडू राम एवं मनोहर सिंह को नियुक्त किया गया तथा पंचायत की बैठक दिनांक 08.09.1985 में प्रस्तुत आदेशिका लिखी गयी, तहरीर जारी नहीं की गई। दिनांक 07.09.1985 को वार्ड पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट में 492 वर्गगज नाप जोख बताकर सीमायें सही होना पाया गया तथा पुराना कब्जा होने पर पंचायत सामान्य नियम 266 के तहत पट्टा दिया जाना उचित है। अभिकथन किया गया कि सार्वजनिक किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। दिनांक 04.09.1985 को दर्ज प्रार्थना पत्र पर आपत्ति मांगने का सूचना पत्र दिनांक 10.09.1985 को कम संख्या 238/85—86 से नोटिस जारी किया गया तथा उक्त नोटिस दिनांक 09.09.1985 को सरपंच द्वारा तैयार किया गया, जो नियमानुसार हनुमान प्रसाद शर्मा के मकान पर चस्पा किया गया। 08.09.1985 को आदेशिका लिखी गयी कि पंचों की रिपार्ट आ चुकी है, रिपोर्ट में कदीमी कब्जाशुदा भूमि को विकय करने की सिफारिश की गयी है, रिपोर्ट पंचों को सदन में स्वीकार किया जाकर विचार विमर्श के बाद भूमि को मुताबिक रिपार्ट पंचों के विकय किये जाने का अस्थायी निर्णय लिया जाता है। अतः आपत्ति नोटिस प्रपत्र 50 में एक माह मियादी जारी हो तथा निर्णय हेतु दिनांक 13.10.1985 को पेश हो। दिनांक 03.11.1985 में उल्लेख किया गया पत्रावली सदन के समक्ष पेश हुई प्रार्थी ने अपने कब्जे शुदा नोहरा की भूमि मुताबिक नक्शा 492 वर्गगज का पट्टा चाहने की मांग की है, जिसका मौका नक्शा तैयार किया जाकर पंचों की मौका रिपोर्ट लिये जाने के बाद भूमि को विकय किये जाने का अस्थायी निर्णय दिनांक 08.09.1985 को लिया जा चुका है। प्रपत्र 50 में आपत्ति नोटिस नियमानुसार जारी हुए एक माह से अधिक अवधि हो चुकी है। कोई आपत्ति नहीं आई है। भूमि प्रार्थी की कब्जेशुदा है एवं विकय किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी की मांग अनुसार भूमि कुल क्षेत्रफल 492 वर्गगज प्रार्थी की कदीमी कब्जाशुदा की कीमत 25 पैसे वर्गगज से कुल राशि 123 रूपया जमा होने पर पट्टा श्री सुरेश चन्द के नाम जारी किया जावें। उक्त निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। जिसके अनुसार दिनांक 23.12.1985 को निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया गया। जिससे पीडित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैः—

निगरानीधीन पट्टे में वर्णित भूखण्ड पूर्व में फतेह सिंह पुत्र विजय सिंह को दिनांक 25.12.1953 को महकमा कोर्ट ऑफ वार्डस राजस्थान द्वारा दिया गया था, जिस पर फतेह सिंह पुत्र विजय सिंह काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते आये उसके बाद गणपत सिंह पुत्र फतेह सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड दिनांक 27.05.1960 को नारायण सिंह पुत्र जीवन सिंह को विकय कर दिया गया, जिसके बाबत एक तहरीर तकमील की गयी। लिखावट लिखी गई तथा मौके पर केता को कब्जा संभलाया गया तथा उक्त लिखावट में भूखण्ड की चारों सीमाओं का विवरण दिया गया है। इस प्रकार पूर्व में विकय की गई व निगरानीकार के कब्जे व उपयोग व उपभोग की भूमि का पट्टा गलत तरीके से गैर निगरानीकार संख्या 1 को दिया गया। तत्कालीन सरपंच ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने पुत्र को दे दिया। जो पंचायत राज अधिनियम में बनाये गये नियमों के विपरीत होने से निरस्तीय है। तथा सरपंच द्वारा आबादी भूमि का विकय स्वयं के पक्ष में अथवा स्वयं के परिवार के सदस्यों के नाम नहीं कर सकते है। निगरानीकार के पिता नारायण सिंह भारतीय सेवा में सेवारत थे, जो कभी कभी ग्राम पंचायत बिचून में जाते थे, उक्त देखभाल करते थे तथा उनकी मृत्यु के बाद निगरानीकार उनके वारिसान है तथा मौके पर जाते रहते है। तत्कालीन सरपंच द्वारा निगरानीकार के कय शुदा भुखण्ड को हडप करने की नियत से निगरानीधीन पट्टा गलत तरीके से जारी किया गया है। पंचायत की मीटिंग आयोजित किये बिना किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता है तथा 15 दिवस का मीटिंग का समय होता है, 15 दिवस से पूर्व विशेष परिस्थितियों में ही मीटिंग का आयोजन किया जावेगा, जिसके बाबत् सार्वजनिक नोटिस चस्पा किया जाना आवश्यक है। मौका निरीक्षण हेतु जो वार्ड पंचों की टीम घटित की गयी

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

जिस पर पत्रावली पर केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है। मौका रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किस दिनांक को निरीक्षण टीम मौका देखने हेतु भूखण्ड पर गयी तथा दिनांक 07.09.1985 को बिना ग्राम पंचायत की मीटिंग के ही रिपोर्ट पेश कर दी गई तथा दिनांक 08.09.1985 को अस्थायी पट्टा देने हेतु निर्णय लिया गया। पूर्व मीटिंग दिनांक 05.09.1985 व उसके पश्चात 08.09.1985 को मीटिंग की गयी जो महज 3 दिवस के बाद की गयी है, अवैधानिक है। दिनांक 13.10.1985 को ग्राम पंचायत में पत्रावली पर कोई आदेश पारित नही किये गये तथा अंतिम पटटा देने का निर्णय दिनांक 03.11.1985 को लिया गया, जिस पर तत्कालीन सरपंच हनुमान सहाय शर्मा के व पंचायत सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण तथा पंचायत की कोरम पूर्ण नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 03.11.1985 अवैध है। आवेदन बुजुर्गों द्वारा पेश किया जाना था जो पेश नहीं किया गया। पंचायत राज अधिनियम के तहत 200 वर्गगज से अधिक भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता है तथा निगरानीधीन पट्टा 492 वर्गगज का दिया गया है। कब्जेशुदा भूमि का नियमन किया जा सकता है, ग्राम पचांयत द्वारा कब्जे शुदा भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता है, यदि विक्रय किया जावेगा तो नीलामी के द्वारा भूखण्ड का विक्रय किया जाना चाहिए परंतु उक्त पटटा दिये जाते समय किसी प्रकार का भूखण्ड हेतु नीलामी आदेश जारी नहीं किया गया, न ही सार्वजनिक स्थल पर नीलामी हेतु इश्तहार जारी किया गया। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलवी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मूल पत्रावली तलब की गई। दिनांक 16.02.2026 को पत्रावली बहस हेतु नियत थी प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

निगरानी पर गैरनिगरानीकार वकील की एकतरफा लिखित बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार ने अपनी लिखित बहस में प्रारंभिक आपत्ति में निवेदन किया कि उक्त निगरानी पंचायत एक्ट 1994 की धारा 97 के तहत निगरानीकार भंवरसिंह वगैरह ने लगभग 37 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जबकि ग्राम पचांयत बिचून ने गैर निगरानीकार सुरेश चन्द के हक में उसका पुश्तैनी बाडा जिसमें चारों ओर पुख्ता बाउण्ड्री बाल है जिसका नियमानुसार सम्पूर्ण कानूनी प्रकिया अपनाते हुए ग्राम पंचायत बिचून (पं.स. दूदू) ने दिनांक 23.12.1985 को पट्टा जारी किया है, उसके विरूद्ध पेश की गई है। उक्त निगरानी पोषणीय नहीं होने से सरसरी तौर पर काबिल खारिज किया जाने योग्य है। इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने 2018–2018 (सपलीमेंट्री) आर.आर.टी पृष्ठ 125 डी.बी. के निर्णयानुसार "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा 97 व 61 राज0 पंचायती नियम 1966 नियम 166–ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का आवंटन आदेश को अति0 कलेकटर के समक्ष निगरानी के जरिये 13–14 वर्षो बाद चुनोती दी– जबकि पंचायत समिति के समक्ष अपील का प्रावधन– कलेक्टर/अति0 कलेक्टर के समक्ष निगरानी पोषणीय नहीं थी, गुणावगुण पर भी तथ्य के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता" पैरा 11 व 13

" N0 revision Is maintainable before the collector, under Section 97 against the order of allotment"

दूसरी आपत्ति है कि उक्त निगरानी जानकारी से मियाद बाहर पेश की है। क्योंकि पूर्व में इसी विवादित भूमि के संबंध में एक नियमित सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दूदू के यहॉ दावा संख्या 10/2002 इन्ही निगरानीकार 1 भंवरसिंह 2 कल्याण सिंह 3 किशोर सिंह 4 दशरथ सिंह पुत्रान स्व. नारायणसिंह राजपूत निवासी बिचून ने गैर निगरानीकार सुरेशचन्द उनके पिता स्व0 हनुमान प्रसाद एवं उनके भाइयों अशोक कुमार,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

कमलेश व मुकेश के विरूद्ध एवं भंवरसिंह, हनुमानसिंह व राजेन्द्र सिंह पुत्रान स्व0 उम्मेद सिंह के विरूद्ध ' स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था, जिसमे गैर निगरानीकार के उक्त नियमित वाद में जवाब दावा दिनांक 26.09.2001 को जवाब दावे के पैरा नं. 14 में " ग्राम पंचायत बिचून द्वारा पुराने कब्जे तथा उपयोग, उपभोग के आधार पर दिनांक 23.12.1985 को गैर निगरानीकार सुरेशचन्द के हक में पट्टा जारी किया है। जिससे यह तथ्य बखूबी साबित है कि विवाद ग्रस्त भूखण्ड गैर निगरानीकार का कब्जे, स्वामित्व, उपयोग एवं उपभोग का हमेशा से रहा है। इससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि निगरानीकार भंवर सिंह वगैरह को उक्त ग्राम पंचायत के निर्णय व पट्टे की जानकारी दिनांक 26.9.2001 से स्पष्ट रूप से हो चुकी है। इसके बावजूद भी जानकारी से लगभग 16 वर्ष बाद उक्त निगरानी पेश है। उक्त वाद संख्या 10/2002 एवं जवाब दावा एवं उक्त निर्णय व डिक्री 16.3.2005 को निगरानीकार भंवरसिंह वगै0 का उक्त नियमित वाद खारिज हो चुका है। जिसको आज तक चुनौती नहीं दी है। उक्त निर्णय की प्रति निगरानी के जवाब एवं दफा 5 के जवाब के साथ प्रस्तुत की है। इससे स्पष्ट है कि निगरानीकार को उक्त ग्राम पचांयत के निर्णय दिनांक 23.12.1985 की प्रारंभ से जानकारी रही है। इसलिए उक्त निगरानी प्रथम दृष्ट्या जानकारी से मियाद बाहर पेश की है। इसलिए उक्त निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

वकील गैरनिरानीकार ने अपनी बहस में समर्थन में हमारा ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टान्तो की ओर आकर्षित किया गया :-

1. 2007 RBJ 438 S.C.
2. A.I.R. 1998 S.C. Page 2276
3. 2011 (1) P. 421
4. 2008 RBJ 674
5. AIR 1997 S.C. 1353
6. 2021 RBJ 226
7. 2021 RBJ 619
8. LIMITATION Act 1963
9. 2002(1) DNJ Raj. 307

उक्त प्रकरण में जब निगरानीकार की ओर से सक्षम सिविल न्यायालय (क.ख.) दूदू से मु0नं0 10/2002 दोनों पक्षों को सुनकर निगरानीकार नियमित वाद दिनांक 16.3.2005 को खारिज हो चुका है। उक्त नियमित वाद में निगरानीकार उक्त विवादित भूमि पर न तो स्वत्व माना और नही कब्जा माना, बल्कि गैर निगरानीकार सुरेशचन्द का उक्त विवादित भूमि पर विधिवत ग्राम पंचायत बिचून द्वारा उसकी पुश्तैनी भूमि आबादी में कब्जा होने से जो पट्टा दिनांक 23.12.1985 दिया गया वह सही होने के आधार पर निगरानीकार भंवरसिंह वगै0 के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किया है। अतः गैर निगरानीकार सुरेशचन्द की ओर से लिखित बहस मय कानूनी नजीरें पेश कर निवेदन है कि निगरानीकार भंवरसिंह वगै0 की निगरानी खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर विचार किया। समयावधि के तकनीकी बिन्दू पर किसी को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। अतः हम प्रार्थना पत्र को मियाद के बिन्दू पर सुनवाई योग्य मानते है।

हमने विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत बिचून की पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया तथा संबंधित कानून के परिप्रेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है कि विवादित भूमि पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

निगरानीकार का कब्जा व उपभोग की भूमि रही है, परन्तु निगरानीकार अपने कथन के समर्थन/साबित करने हेतु ऐसा कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेजात प्रस्तुत करने में असफल रहा जिससे साबित हो कि विवादित भूमि निगरानीकार के कब्जे व उपयोग व उपभोग की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बिचून की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पंचायत बिचून द्वारा जारी पट्टा संख्या 1016 दिनांक 23.12.1985 विधि सम्मत जारी होना पाया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम साबित नही होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner